26/05/23

26/5/23

[signature]

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के समन
डाक द्वारा भेजकर पोस्ट ऑफिस की ट्रैकिंग
रिपोर्ट पेश की। विपक्षीगण अनुपस्थित।
विपक्षीगण को कोर्ट समय से तीन बार
तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद
आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से
विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही
की जाती है। वकील प्रार्थीगण से बहस
सुनी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ
तहसील जावे। पालना प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्या : 226 / 2022

.र्थीनी :–

1. शान्तिदेवी पत्नी जेठाराम
   जाति पुरोहित निवासी डाबड हाल निवासी सिन्धू सागर कॉ–आपरेटिव सोसायटी 5 फ्लोर रूम नम्बर 506 केशवराज मार्ग मुम्बई (महाराष्ट्र)

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. किशना पुत्र रूपा
2. जीवा पुत्र जगा
3. तोगा पुत्र जगा
4. दुरगा पुत्र जगा
5. दला पुत्र जगा
6. नरसींगा पुत्र रूपा
7. भंवरा पुत्र जगा
8. मका पुत्र जगा
9. मकाराम पुत्र सोनाराम उर्फ चूनाराम
10. मिश्रा पुत्र जगा
11. रूगनाथ पुत्र रूपा
12. राधा पत्नी जगा जाति जटिया निवासी आलपुरा
13. आसूराम पुत्र जवानाराम
14. छोगाराम पुत्र रूगाराम
15. जैरूपाराम पुत्र रायमलराम
16. धूकाराम पुत्र जवानाराम
17. पांचाराम पुत्र जवानाराम
18. मगाराम पुत्र रायमलराम
19. मालाराम पुत्र रायमलराम
20. रूपाराम पुत्र भीमाराम
21. सुन्दरराम पुत्र भीमाराम जाति रबारी निवासी आलपुरा
22. भूरीदेवी पत्नी अचलाराम
23. ललित कुमार पुत्र अचलाराम जाति कलबी निवासी गुड़ामालानी
24. छगनदेवी पत्नी भगाराम जाति कलबी निवासी भावाणियों की ढाणी
25. रंभादेवी पत्नी सोनाराम जाति कलबी निवासी हाजाणियों की ढाणी
26. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीनी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 26.05.2023

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत्

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा आलपुरा पटवार क्षेत्र आलपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 215/5 रकबा 2.5900 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीनी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीनी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र आलपुरा के राजस्व ग्राम आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 215/5 रकबा 2.5900 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीनी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26/05/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)

वाद / 2023 / 632 दिनांक : 29/05/23

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

शान्तिदेवी किशना वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......226/2022.. निर्णय दिनांक :– **26.05.2023**

–:: **आदेश** ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **आलपुरा** के खेत खसरा नम्बर 215/5 रकबा 2.5900 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **तहसीलदार....गुड़ामालानी**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....**1000/–**...प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
गुडामालानी

क्रमांकः वाद / 2023 / 633-637 दिनांक : 29/05/23
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी....**आलपुरा**.. को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थीगण.........**शान्तिदेवी पत्नी जेठाराम**
5. विप्रार्थीगण.....**किशना वगैरा**....

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
गुडामालानी